P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-7* March- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सूचना का अधिकार : दशा एवं दिशा

रामदयाल मीना
शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ,राजस्थान

सारांश

सूचना पाने का मनुष्य को मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार कभी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया, इसी को लेकर विश्व में लगभग सभी जगह रस्सा–कसी रही और जहाँ भी जनता–जागरूक रहीं, वहाँ इस अधिकार को प्राप्त करने में सफलता मिली। सूचना के अधिकार को लेकर विश्व के विभिन्न देशों में समय–समय पर कानून बने, स्वीड़न सूचना के अधिकार का कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश है यहाँ वर्ष 1766 में प्रेस की स्वतंत्रता नामक कानून बनाया गया। अमरीका जैसे शक्तिशाली एवं विकसित देश में यह अधिकार 1966 में अस्तित्व में आया और समय–समय पर पड़े दबावों के फलस्वरूप इसमें जनहित की दृष्टि से संषोधन भी किए गए। वैसे सूचना के अधिकार के कानून को ज्यादा से ज्यादा जिन राष्ट्रों ने स्वीकारा है उनमें अधिक संख्या उत्तरी गोलार्द्व के विकसित देशों की अभी तक रही है। जहाँ तक दक्षिणी गोलार्द्व के विकासशील देशों का सवाल है, वहाँ सूचना के अधिकार की कोई चर्चा नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई उनके लिए सूचना के अधिकार से बड़ी लड़ाई है। भारत में सूचना के अधिकार का संघर्ष आजादी मिलने के लगभग पाँच दशक बाद सुनियोजित रूप से प्रारम्भ हुआ।

सूचना का अधिकार नागरिकों के हाथों में एक सशक्त हथियार है। अगर कार्यपालिका के पास 'शासकीय गोपनीयता कानून' है, तो विधायिका के पास 'संसदीय विशेषाधिकार' है, न्यायपालिका के पास 'न्यायालय की अवमानना' सम्बन्धी कानून है तो नागरिकों के पास भी एक अचूक हथियार आ गया है। यदि इसका विवेकपूर्ण तथा कुशलता के साथ उपयोग किया जाए, तो इससे न केवल देश की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा, बल्कि यह लोकतंत्र के विकास में भी 'मील का पत्थर' साबित होगा।

मुख्य शब्द : सूचना, अधिकार, गोपनीयता, कानून, भारत, नागरिक, अधिनियम, 2005।

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह दुनिया का सर्वप्रथम लोकतंत्र था और वर्तमान समय में इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ अंश स्विट्रजलैण्ड के कुछ कैंटनों तथा अमरीका के कुछ छोटे नगरों में आज भी ऐसी पद्धति देखने को मिलती है, जहॉं कि इस पद्धति में नागरिक स्वयं शासकीय कार्यों में प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा लेते हैं, लेकिन भारत जैसे विशाल जनसंख्या एवं बड़े सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का व्यावहारिक संचालन हो पाना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि यहाँ प्रत्येक नागरिक अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता का संचालन करता है, हर नागरिक को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है।

लोकतंत्र का मूलमंत्र ही **'जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन'** है लिहाजा ऐसा सच्चा लोकतंत्र तभी सम्भव हो सकता है, जब शासन प्रशासन को देश और राज्य की जनता के प्रति अधिकाधिक जवाबदेह बनाया जा सके, लेकिन आज लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यही है कि शासन–प्रशासन की निरंकुशता को नियंत्रित रखते हुए, उसे किस तरह से आम व्यक्तियों के प्रति अधिक जवाबदेह, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, संवेदनशील बनाया जाए? क्योंकि हमारे देश में नागरिकों के हितों से जुड़े हुए अधिकांष कार्यों का निष्पादन सांवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। लेकिन वास्तव में देश का प्रत्येक नागरिक सत्ता व शासन में कैसे भागीदारी कर सकता हैं? जनता कैसे समझ सकती है कि फैसले कैसे किए जा रहे हैं? साधारण लोग कैसे जानें कि कर (टैक्स) से आए पैसे को कैसे खर्च किया जा रहा है? या

सार्वजनिक योजनाएं सही तरीके से चलाई जा रही हैं या नहीं या फैसले लेते समय सरकार ईमानदारी और निष्पक्षता से काम कर रही है या नहीं? सरकारी अधिकारियों का काम जनता की सेवा करना है, पर इन अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह कैसे बनाया जाए? क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक जानना चाहता है कि वहाँ के शासन–प्रशासन से जुड़ी हुई प्रत्येक सूचनाएं समय–समय पर उपलब्ध होती रहें, सूचना ही लोकतंत्र का प्राण है, क्योंकि जब तक नागरिकों के पास शासन और प्रशासन से जुड़ी तथ्यपरक, नवीनतम एवं प्राथमिक सूचनाएं न हों, तब तक किसी ठोस एवं प्रभावी विचार–विमर्ष की गुंजाइश नहीं बनती, सूचना तक नागरिकों की जितनी अधिक पहुँच होगी, उतनी ही अधिक सरकार एवं सांवैधानिक संस्थाओं की लोगों के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य सूचना के अधिकार की दशा एवं दिशा का अध्ययन करना है। इस शोधपत्र में भारत सहित विश्व में सूचना के अधिकार की प्राप्ति हेतु किये गये आंदोलनों एवं प्रयासों का समेकित अध्ययन करने का प्रयास किया गया है, साथ ही विश्व के विभिन्न देशों में सूचना के अधिकार के प्रारम्भ एवं वर्तमान स्थिति की व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा इस शोधपत्र में सूचना के अधिकार के महत्व, सफलता एवं असफलताओं का अध्ययन करते हुए, सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने का प्रयास भी किया गया है।

इस प्रकार प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य सूचना के अधिकार की विस्तृत व्याख्या करते हुए, प्रत्येक नागरिक को सरकार की नीतियों एवं विभागों की कार्य–प्रणालियों से पूर्णतः परिचित कराना है ताकि सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सके और प्रशासन में पारदर्शिता स्थापित की जा सके।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोधपत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का प्रयोग करते हुए शोध–विषय से सम्बन्धित सामग्री प्राप्त की गई है। सूचना के अधिकार के अध्ययन से सम्बन्धित सामग्री प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण विद्वानों की पुस्तकों, समय–समय पर सरकारों द्वारा सूचना के अधिकार को लागू करने हेतु बनाई गई नीतियों, शोधपत्रों में प्रकाशित आलेखों, विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित सम्पादकीय एवं विभिन्न विद्वानों के लेखों का अध्ययन किया गया है। इन्हीं के आधार पर यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि भारत में सूचना के अधिकार को लागू करने के लिए किये गये प्रयास कितना सफल हो पाये है तथा इसकी सफलता के मार्ग में क्या–क्या रूकावटें आ रहीं है, जिन्हें तुरंत दूर किये जाने की आवश्यकता है ताकि सूचना का अधिकार सफल हो और प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेही आ सके।

साहित्यावलोकन

सूचना के अधिकार की दशा एवं दिशा के सन्दर्भ में किये गये इस शोध के उद्देश्यों तथा शोध पद्धति का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस विषय पर लिखे गये साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया है। यथा–

अरूण सागर ने अपनी रचना 'सूचना का अधिकार' (2015) में सूचना के अधिकार का अर्थ बताते हुए इसकी प्रासंगिकता पर लिखा है तथा बताया है कि आधुनिक युग में प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए सूचना का अधिकार अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए।

संजीव वृंदा मुथुस्वामी द्वारा लिखित पुस्तक 'राइट टू इन्फॉर्मेशन' (2017) में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की विस्तृत व्याख्या करते हुए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2012 की मार्गदर्शिका एवं प्रथम अपील के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में सूचना प्राप्त करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के उपायों के बारे में भी बताया गया है।

अरविन्द केजरीवाल ने अपनी पुस्तक 'स्वराज' (2012) का 29 जुलाई 2012 को नई दिल्ली में स्थित जंतर–मंतर पर अनावरण करते हुए कहा था कि ये पुस्तक वर्तमान केन्द्रीयकृत प्रशासन व्यवस्था की कमियों को उजागर करती है और बताती है कि वास्तविक जनतंत्र कैसे लाया जा सकता है।

प्रख्यात गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखते हुए कहा है कि यह किताब व्यवस्था–परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे आंदोलन का घोषणा–पत्र है और देश में असली स्वराज लाने का प्रभावशाली मॉडल भी है।

नीरज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक 'सूचना का अधिकारः एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका' (2015) में सूचना के अधिकार की विस्तृत व्याख्या करते हुए इस अधिकार को व्यवहार में लागू करने पर आने वाली समस्याओं पर विषेष रूप से प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक में सूचना के अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करने के उपायों पर विशेष जोर देते हुए, इसे आधुनिक काल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की सफलता के लिए जरूरी बताया गया है।

उपर्युक्त विवेचन द्वारा शोध विषय से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है समय तथा अन्य परिस्थितियों की सीमाओं में रहते हुए प्रस्तुत शोध विषय से सम्बन्धित, जो साहित्य सुलभ हो पाये, उन्हीं की यहाँ समीक्षा की गई है।

सूचना के अधिकार का अर्थ

सूचना का अधिकार अधिनियम सत्ता एवं शासन की व्यवस्थाओं में गोपनीयता के नाम पर सदियों से फैले भ्रष्टाचार को मिटाकर खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही युक्त शासन– व्यवस्था स्थापित करने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है। यह लोगों को सरकारी संगठनों से जानकारी हासिल करने और उनसे सवाल पूछने में सक्षम बनाता है जैसा कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विधानमण्डल एवं संसद सत्र के दौरान करते हैं, नागरिक सरकार की नीतियों और क्रिया–विधियों, विभिन्न कार्यो पर किए गए खर्च, उनसे मिलने वाले लाभ, सुविधाओं इन्फ्रास्ट्रक्चर की

कमी या अनुपलब्धता आदि पर सवाल उठा सकते हैं, ऐसी कोई भी सूचना जो संसद, राज्य विधान मण्डलों को नहीं नकारी जा सकती, वह इस कानून के तहत आवेदनकर्ता को भी नहीं नकारी जा सकती।

अधिनियम की धारा 2 (ञ) के अन्तर्गत सूचना अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि **'सूचना का अधिकार'** से इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है–

1. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण।
2. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना।
3. सामग्री के नमूने लेना।
4. डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडिया कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहाँ ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।

विश्व के प्रमुख देशों में सूचना का अधिकार

विश्व के कई देशों ने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार कानून बनाकर या किसी अन्य रूप में उपलब्ध करवाया है। इनमें स्वीडन, फिनलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैण्ड ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाड़ा, न्यूजीलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका, जापान एवं भारत आदि देश प्रमुख है। जहाँ पाकिस्तान ने अध्यादेश के जरिए अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार मुहैया कराया हैं, वहीं मलेशिया ने कोई कानून तो अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन उसने कम्प्यूटर प्रणाली के द्वारा अपने यहाँ सूचना प्रणाली विकसित की है। भारत में संसद द्वारा मई 2005 में सूचना के अधिकार का कानून पारित किया गया, जो 12 अक्टूबर, 2005 से भारत में लागू हो गया।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्व के 193 देश ऐसे हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता प्रदान करता हैं, जिनमें से तकरीबन 85 देशों में सूचना के अधिकार के कानून बन गए हैं व 30 देशों में इस विषय पर कानून बनाने की चर्चा चल रही है।

स्वीडन : सूचना के अधिकार का कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश

विश्व में सर्वप्रथम सूचना के अधिकार का कानून बनाने का श्रेय स्वीडन राष्ट्र को जाता है, अर्थात् दूसरे शब्दों में अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला सर्वाधिक पुराना देश स्वीडन ही है आज से लगभग 252 वर्ष पहले ही स्वीड़न की सरकार ने संविधान व कानून के जरिए अपने नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की थी, वर्ष 1766 में स्वीडन की सरकार ने 'प्रेस की स्वतंत्रता नामक कानून' बनाया था।

उल्लेखनीय है कि स्वीड़न के इस 'फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट' के अस्तित्व में आने की कहानी भी दिलचस्प है, 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के शुरूआती वर्षों में स्वीडन में मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल थे। एक का नाम 'हैट्स' था और दूसरे का नाम 'कैप्स' दबदबा हैट्स का था। सत्ता की बागडोर भी इसी दल के हाथ में थी। वर्ष 1750 के बाद स्वीड़न की राजनीति में 'कैप्स का प्रभाव धीरे–धीरे बढ़ने लगा। 1765 में स्वीड़न में चुनाव हुए। चुनाव का मुख्य मुद्दा पारदर्शिता बना। 'हैट्स' वाले जहाँ गोपनीयता के पक्षधर थे। जबकि 'कैप्स' ने पारदर्शिता की वकालत की। चुनाव में कैप्स दल विजयी रहा। चुनाव के बाद सरकार ने 1766 में सबसे पहले 'फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट' बनाया।

बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तमाम संषोधनों के जरिए स्वीडन के 'फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट' ने 1976 में एक आधुनिक स्वरूप ग्रहण किया है वर्ष 1976 के इस कानून में कुल 14 अध्याय है। 'ऑन द पब्लिक करेक्टर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नामक दूसरे अध्याय में सूचना का अधिकार देने वाले कानून के विभिन्न प्रावधान मौजूद है। इस कानून के दूसरे अध्याय में सात किस्म के प्रतिबन्धों का भी उल्लेख किया गया है।

फिनलैण्ड, डेनमार्क एवं नार्वे : स्केण्डीनेवियन राष्ट्रों में सूचना का अधिकार

स्वीडन के अलावा अन्य स्केण्डीनेवियन राष्ट्रों में भी वहाँ के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है यह देश है फिनलैण्ड, डेनमार्क एवं नार्वे।

फिनलैण्ड

फिनलैण्ड के नागरिकों को सूचना का अधिकार अथवा सरकारी दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार 1951 में मिला, जब फिनलैण्ड ने 'लॉ ऑन द पब्लिक करेक्टर ऑफ ऑफिशियल डाक्यूमेंटस' नामक कानून बनाया। बाद में वर्ष 1999 में इस कानून में संषोधन भी किया गया।

डेनमार्क

डेनमार्क में वहाँ के नागरिकों को सूचना का अधिकार सुलभ कराने हेतु 1964 में एक कानून बनाया गया। बाद में यह 1970 में संविधान का अंग बनाया गया। 1985 में डेनमार्क में इस कानून के स्थान पर 'लॉ ऑन एक्सेस ऑफ पब्लिक एड्रमिनिस्ट्रेशन फाइल्स' नामक कानून बनाया गया।

नार्वे

नार्वे में सूचना की स्वतंत्रता नामक कानून 1970 में बनाया गया। इस कानून में सूचना प्राप्ति के लिए निवेदन करने के पश्चात् 30 दिन में जवाब मिलने का प्रावधान किया गया। वर्ष 2006 में नार्वे में आर.टी.आई. से सम्बन्धित एक नया कानून भी बनाया गया है।

ब्रिटेन में सूचना का अधिकार

ब्रिटेन का नाम पूरी दुनिया में शासकीय गोपनीयता का पहला कानून बनाने वाल देशों में शामिल किया जाता है। ब्रिटेन में इस कानून में काफी समय से परिवर्तन की माँग भी की जाती रही है। वर्ष 1989 में सरकारी गोपनीयता कानून (1911) के अनुच्छेद–2 को बदल कर पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। वर्ष 2000 में ब्रिटिश संसद ने 'सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम' पारित किया है।

संयुक्त राज्य अमरीका में सूचना का अधिकार

संयुक्त राज्य अमरीका में वैसे तो कुछ कमजोर रूप में सूचना का अधिकार पहले से ही था, परन्तु वर्ष

1966 में 'सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम' तथा वर्ष 1974 में उसमें कुछ संशोधनों के बाद इस अधिकार की स्थिति और मजबूत हुई। इस अधिनियम में प्रावधान है कि सूचना माँगने के 10 दिन के भीतर सम्बन्धित अधिकारी को सूचना प्रदान करनी पड़ेगी। यदि वह माँगी गई सूचना नहीं दे रहा है, तो उसे इसका कारण 20 दिन के अन्दर बताना पड़ेगा।

स्वीडन की तरह इस अमरीकी कानून में भी कुछ खास क्षेत्रों की सूचनाओं को फ्रीडम ऑफ इन्फॉरमेशन एक्ट' के दायरे से बाहर रखा गया। वर्ष 1974 के संशोधनों के मुताबिक नौ क्षेत्रों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

अमरीका की सरकार सूचना देने से मना भी कर सकती है। यदि ऐसा करने से इसके सुरक्षा हितों को नुकसान हो। 11 सितम्बर 2001 को अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेन्टागन पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद अमरीका की रक्षा सम्बन्धी सूचनाओं को इंटरनेट से तत्काल हटाते हुए सूचनाओं का दायरा बिल्कुल सीमित कर दिया गया है।

कनाड़ा में सूचना का अधिकार

कनाडा में सूचना प्राप्त करने का अधिकार वर्ष 1983 में 'एक्सेस टू इनफॉमेशन एक्ट' द्वारा वहाँ के नागरिकों को दिया गया। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा माँगी गई सूचनाएँ 30 दिन के भीतर अवश्य दे दी जाएँगी। कनाडा में 'सूचना कमिश्नर' का कार्यालय भी खोला गया है जहाँ पर कमिश्नर शिकायत प्राप्त करता है और उसकी जाँच करता है। विश्व के अन्य देशों की तरह कनाडा में भी सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखी जाने वाली सूचनाओं का विस्तृत ब्यौरा है।

न्यूजीलैण्ड में सूचना का अधिकार

न्यूजीलैण्ड में 'ऑफिशियल इन्फॉरमेशन एक्ट', 1982 में बनाया गया। साथ ही सरकारी गोपनीयता कानून के प्रावधानों को उदार भी बनाया गया। इस कानून की प्रमुख विशेषता है कि इसमें न सिर्फ सरकारी दस्तावेजों को ही 'सूचना' माना गया है, बल्कि किसी मंत्री या अधिकारी के पास शासकीय हैसियत से मौजूद किसी तथ्य के ज्ञान की जानकारी को भी सूचना के अन्तर्गत रखा गया है। सूचना देने से इनकार किए जाने पर 'ओम्बड्समैन' के पास अपील भी की जा सकती है।

आस्ट्रेलिया में सूचना का अधिकार

आस्ट्रेलिया ने वर्ष 1982 में सूचना की स्वतंत्रता का कानून पारित किया तथा वर्ष 1989 में इस कानून को और अधिक सशक्त रूप दिया गया है। इस कानून के दायरे में संघीय सरकार की सभी एजेंसियों को लाया गया है।

सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के 10 सिद्धान्त

वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सूचना के अधिकार से सम्बन्धित 10 सिद्धान्त स्वीकार किए। यह इस प्रकार है–

1. प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि उसे सूचना प्राप्त हो, कोई भी व्यक्ति जानकारी हेतु आवेदन कर सकता है, इसके लिए नागरिकता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदन करना आसान, शीघ्र व निःशुल्क होना चाहिए।
3. अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वह आवेदक की सहायता करें।
4. सूचना प्राप्त करने का एक नियम होना चाहिए। गोपनीयता इसका अपवाद है।
5. यह अधिकार सभी सार्वजनिक निकायों पर लागू हो, जनता को यह अधिकार है कि वह सभी जानकारी प्राप्त कर सके, जो उन सरकारी या निजी निकायों के अधीन हो, जो सार्वजनिक कार्य करते हों– जैसे पानी व बिजली प्रदान करना।
6. सूचना देने से मना करने पर, ऐसा न करने के कारण देना भी अनिवार्य है।
7. मनाही केवल उचित कारण होने पर ही की जा सके, सरकारें तभी जानकारी देने हेतु मना कर सकती हैं, जब ऐसा करने पर नुकसान हो सकता है, जैसे– राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी के निजी अधिकारों के खतरे का संशय।
8. लेकहित गोपनीयता से अधिक अनिवार्य है, जानकारी प्रदान करना आवश्यक बन जाता है, जब ऐसा करना लोकहित में हो विशेषतः जब उससे वातावरण या मानवाधिकारों का हनन होता है।
9. सूचना प्राप्त करने हेतु जो फीस तय की गई हो, वह कम से कम हो।
10. सूचना या जानकारी साफ तथा सीधी भाषा में हो।

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम की पहल

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नागरिकों के समक्ष पहली बार सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में राजनीतिक प्रतिबद्धता 1977 के लोकसभा चुनाव के अवसर पर व्यक्त की थी। यह लोगों की सूचना प्राप्ति की आकांक्षा के दमन का परिणाम था, जोकि वर्ष 1975 से 1977 के बीच प्रेस पर प्रतिबन्ध लगाकर व अधिकारों का दुरूपयोग कर किया गया था।

अपने चुनाव घोषणा–पत्र में 1977 में जनता पार्टी ने यह वायदा किया कि 'पारदर्शी सरकार' की स्थापना की जाएगी और यह घोषित किया कि ''वह खुफिया सेवाओं और सरकारी अधिकारों का व्यक्तिगत या पक्षपातपूर्ण हितों के लिए दुरूपयोग नहीं करेगी।'' इस प्रतिबद्धता का पालन करते हुए जनता सरकार, जिसके मुखिया मोरारजी देसाई थे, व जो 1977 में बनी, द्वारा एक कार्यकारी संगठन का गठन भी किया गया जो यह देखे और समीक्षा करें कि 1923 के सरकारी गोपनीयता अधिनियम को बदला जा सकता है या नहीं, ताकि जनता को सूचना बेहतर ढंग से प्राप्त हो सके। उस कार्यकारी संगठन समूह ने, जिसमें कैबिनेट सचिवालय के अधिकारी व गृह विभाग, वित्त रक्षा मंत्रालयों के अधिकारी आदि ने यह प्रस्तावित किया, कि इस 1923 के अधिनियम को बिना बदले ही रखा जाए। इस कानून को न बदलने का यह प्रस्ताव लोग आकांक्षाओं के विपरीत था। दिसम्बर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह ने **'ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट'** में सुधार लाने एवं सरकारी

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-7* March- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

कार्यों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया, लेकिन व्यवहार में सरकार के काम–काज में उनकी सरकार तथा बाद की सरकारों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

भारत में सूचना का अधिकार कानून को लेकर जमीनी स्तर पर यह आन्दोलन 1994 में ''राजस्थान के किसानों ने अरूणा राय एवं लिखिल डे के नेतृत्व में **'हमारा पैसा, हमारा हिसाब'** आन्दोलन के जरिए, सूचना के अधिकार को देश भर मे ख्याति दिलाने वाले अगुवा दस्ते का गौरव हासिल किया। पारदर्शिता का यह आन्दोलन गाँवों, पंचायतों में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ तथा न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्षरत् ग्रामीणों एवं गरीब मजदूर किसानों की देन है। ''राजस्थान से शुरू होता यह जन आन्दोलन अन्य राज्यों में भी फैलने लगा। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने इस कानून के निर्माण में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और अनेक राज्यों द्वारा सूचना का अधिकार कानून के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने–अपने राज्यों में इसको लागू किया।

राज्यों के बाद भारत में केन्द्रीय स्तर पर भी इस दिशा में पहल प्रारम्भ हुई। इसी आधार पर मार्च 2005 में सूचना का अधिकार विधेयक संसद में पेश किया गया। अंततः इसे 11 मई 2005 को लोक सभा में तथा 12 मई को राज्य सभा ने भी इसे पारित कर दिया गया। 12 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी, इस तरह 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार पूरे देश में प्रभावी हो गया (जम्मू–कश्मीर को छोड़कर, जहाँ विधान सभा द्वारा पहले ही सन 2004 में सूचना अधिकार कानून पारित एवं लागू किया जा चुका था। इसके अलावा, केन्द्र सरकार से जुड़े निकायों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार 2005 के तहत् सूचना माँगने का अधिकार जम्मू–कश्मीर के नागरिकों को भी प्राप्त है)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य उद्देश्य

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि ''प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना अधिकार की व्यावहारिक शासन–पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम की व्यवस्था करना है। इस प्रकार इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सूचना अधिकार के माध्यम से व्यावहारिक शासन–पद्धति की स्थापना करना है।''

इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :–

1. प्रत्येक नागरिक को सरकार की नीतियों एवं विभागों की कार्य–प्रणालियों से पूर्णतः परिचित कराना।
2. सरकारी विभागों में दशकों से कैद व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई सूचनाओं को नागरिकों तक पहुँचाना।
3. भ्रष्टाचार को रोकना, सरकारों और उनके कार्यक्षेत्रों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेही का बोध दिलाना।
4. हर सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य में ईमानदारी तथा जिम्मेदारी को महत्व देना।
5. सरकारों को सही ढंग से चलाने, कम धन का अच्छी तरह से इस्तेमाल करने और आवश्यक सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के साथ–साथ आपस के विरोधों में तालमेल स्थापित करना।
6. सूचना के लेनदेन में पारदर्शिता लाना।

यह अधिनियम जनता को विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर, जैसे– नागरिक सुविधाओं का ह्रास, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सम्पत्ति, लोक विधियों का उपयोग, सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर तथा नागरिकों के आधारभूत मानवीय अधिकारों के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु सत्ता एवं शासन सक्षम बनाकर उसकी व्यवस्थाओं में खुलापन जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाना और प्रत्येक लोक प्राधिकारियों को अपने दायित्व के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

सूचना का अधिकार 2005 के मुख्य प्रावधान

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कुल 31 अनुच्छेद, 6 अध्याय, 2 अनुसूचियों के अन्तर्गत नागरिकों से आवेदन लेने तथा उन्हें सूचना उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसका संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार से है–

1. अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति सूचना के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें उम्र की कोई बाध्यता नहीं है।
2. सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन शुल्क रु. 10 है जिसे डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, बैंकर्स चेक के माध्यम से सम्बन्धित विभाग के लोक प्राधिकारी के एकाउंट्स ऑफिसर के नाम देय होगा, लेकिन सूचना शुल्क प्रति पेज रु. 2 के हिसाब से अलग से देना होता है, जो कि लोक सूचना अधिकारी के आग्रह पर बाद में दिया जाता है, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को निःशुल्क आवेदन का प्रावधान है। धारा 7(5) में।
3. अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिनों के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करानी होगी। यदि कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से सम्बन्धित है, तो उसे 48 घण्टों के अन्तर्गत देने का प्रावधान है।
4. सूचना न देने पर दोषी लोक सूचना अधिकारी पर रु. 250 से 25,000 तक के दण्ड का प्रावधारा धारा 20(1) में है।
5. यदि किसी आवेदक को निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत सूचना प्राप्त नहीं होती है या सूचना आधी अधूरी है या सूचना देने से मना कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसी संस्थान, कार्यालय विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकते है और इस सम्बन्ध में धारा 18 के अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य सूचना आयोग में सम्बन्धित विभाग के

लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी की जा सकती है।

6. किसी विभाग के लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को पूरी सूचना नहीं दी जाती, तो ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सूचना आयोग में 90 दिनों के अन्तर्गत द्वितीय अपील की जा सकती है।
7. सूचना को प्रत्येक नागरिक को सुलभ तथा सरल तरीके से पहुँचाने के लिए अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 12(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग एवं धारा 15 (1) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है।

केन्द्रीय सूचना आयोग

भारत के सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के (अध्याय–3) की धारा–12 के अन्तर्गत 'केन्द्रीय सूचना आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है। यह आयोग मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों, जितने आवष्यक समझे जाएँ, से मिलकर बनेगा। केन्द्रीय/मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसी समिति की सिफारिष पर की जाएगी। जिसमें (अ) प्रधानमंत्री (समिति के सभापति), (ब) लोक सभा के विपक्ष का नेता तथा (स) प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का एक मंत्री शामिल होंगे। प्रत्येक सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पदधारित करेगा तथा वह पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। भारत के प्रथम केन्द्रीय सूचना आयुक्त के रूप में अक्टूबर 2005 में वजाहत हबीबुल्ला की नियुक्ति की गई थी।

सूचना के अधिकार का महत्व

सूचना का अधिकार गोपनीयता के विरूद्ध पारदर्शिता की वकालत तो करता ही है, इसके साथ–साथ यह नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में जनसहभागिता को प्रोत्साहित भी करता है जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकारें संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए यह एक हथियार भी है। सूचना के अधिकार के कई लाभ व महत्व है। जो इस प्रकार है–

1. सूचना का अधिकार एक मूल मानव अधिकार है। यह सभ्य समाज में व्यक्ति के गौरव को बनाए रखने का साधन है सूचना की जानकारी से कोई भी व्यक्ति समाज एवं देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सकता है।
2. सूचना के अधिकार से लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। यह देश के विकास के लिए अनिवार्य है।
3. सूचना का अधिकार जनसहभागिता का अभिकरण है। इस अधिकार के कारण सार्वजनिक मामलों में आम लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है और वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग सही ढंग से कर सकते हैं।
4. जानकारी व सूचना का हक प्राप्त करने से जो लोकतंत्र केवल प्रतिनिधि के चुनाव तक सीमित था, आज वहाँ लोगों की भागीदारी व हिस्सेदारी की बात की जा रही है।
5. सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रक के समान कार्य करता है। भ्रष्टाचार के अध्ययन हेतु प्रतिष्ठित संस्था 'ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल'के द्वारा प्रकट आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत के विकास को अवरूद्ध करने वाला, निर्धन की रोटी को छीनने वाला कारक भस्मासुरी दैत्य से मुक्ति पाने हेतु सूचना का अधिकार एक सशक्त हथियार है।
6. सूचना का अधिकार वर्तमान स्थिति में अनिवार्य बन जाता है, जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों तथा आर्थिक नीतियों में भी बदलाव के कारण आज जनता प्रभावित हो रही है।

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार कानून चंद कानूनों में से एक है, जिसने इतनी जल्दी पूरे देश व प्रदेश के अन्दर हर वर्ग के लोगों का विश्वास जीता है, जिसका प्रयोग लोग व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने व भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक ऐसे हथियार के रूप में कर रहे हैं, जो सत्ता एवं शासन व्यवस्थाओं में दशकों से मौजूद गोपन संस्कृति को भेदकर, पूरे तंत्र की परते उधेड़ रहा है। सत्ता तथा शासन की सड़ांध बाहर आ रही है। देश की विधायिका एवं अधिकारी वर्ग इस कानून को बेहद असहज महसूस कर रहा है, लेकिन इस कानून से सत्ता एवं शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही जैसी संस्कृति का विकास हुआ। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से बेधड़क पूछ सकता है कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ? कब होगा? इसके लिए कौन अधिकारी तथा कर्मचारी जिम्मेदार है, जिसने मेरे कार्य को करने में विलम्ब किया है, उस अधिकारी तथा कर्मचारी पर क्या कार्यवाही हुई है? इन सब सवालों का जवाब जानने का अधिकार, अब प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार कानून बनने के बाद एक अधिकार के रूप में मिला है।

अब जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को अपने उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही का बोध हो रहा है। इससे पहले सत्ता तथा शासन में लोगों की भागीदारी केवल मतदान तक सीमित थी, लेकिन अब इसी कानून का कमाल है कि जो हमारे देश के लोकतंत्र व्यवस्था को चार कदम आगे ले जाने में कामयाब हुआ है। यह कानून आम नागरिकों को सुशासन के द्वार तक ले जाने में प्रभावशाली हथियार है, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कार्यपालिका के पास शासकीय गोपनीयता कानून है, विधायिका के पास संसदीय विशेषाधिकार है, न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना से सम्बन्धी कानून है, तो आम नागरिकों के पास भी सूचना का अधिकार कानून एक सशक्त हथियार आ गया है, यह जनता के संघर्षों से बना ऐसा कानून है, जो आम जन को भारतीय लोकतंत्र में मालिक होने का अहसास देता है इस कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को वह हर सूचना मिल सकती है, जो लोकसभा तथा विधानसभा के चुनिंदा सदस्यों को मिलती थी। इस प्रकार बिना चुनाव लड़े ही आम व्यक्ति सत्ता तथा सम्प्रभुता सम्पन्न बनता है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-7* March- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

यह सूचना का अधिकार कानून की ही उपलब्धि है कि बेलगाम नौकरशाही और लापरवाह विधायिका दोनों पर यह कानून अंकुश लगाता है और जवाबदेही को स्थापित करता है। यह इसी कानून की ताकत है कि **'हम भारत के लोग'** (वी द पीपल ऑफ इण्डिया) की वास्तविक व्याख्या और अधिकारिता को आजादी के छः दशकों बाद इसी से व्यावहारिक स्वरूप मिल पाया है। इस कानून के प्रावधान इतने सरल है कि देश का कोई व्यक्ति बिना कानूनी सहायता लिए हुए भी सूचना माँग सकता है चाहे वह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री तक की हो सकती है।

सूचना का अधिकार कानून बने, अभी मात्र 12 वर्ष हुए हैं, जो **12 अक्टूबर 2005** को बना था। इस कानून ने पिछले बारह–तेरह वर्षो के बहुत अल्पसमय में पूरे देश के अन्दर लोगों का विश्वास जीता है। इस कानून के प्रयोग को लेकर नागरिक इस कानून का प्रयोग एक अधिकार के रूप में सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अपने व्यक्तिगत हित से जुड़ी हुई अनेक सूचनाओं के बारें में कर रहें हैं। इस कानून के सार्थक क्रियान्वयन को लेकर देश के विभिन्न भागों में कई संस्थाएं एवं सक्रिय कार्यकर्ता कार्य कर रहें हैं जिसमें **'कॉमन वेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव'** तथा **'परिवर्तन'** आदि संस्थाएं, राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश के विभिन्न भागों में लोगों को इस कानून के प्रयोग के प्रति जागरूक कर रहीं हैं, कुछ राज्यों में लोगों ने आर.टी.आई. क्लबों का गठन भी कर रखा हैं जिससे समाज का जरूरतमंद व्यक्ति इस कानून का प्रयोग एक अधिकार के रूप में कर सके, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे सक्रिय आर.टी.आई. कार्यकर्ता है जो इस कानून के क्षेत्र में कार्य कर रहें हैं, उन्हें कई बार भ्रष्टाचारियों द्वारा जान से माने की धमकी भी मिल रही है देश में पिछले बारह–तेरह सालों में करीब आठ–दस कार्यकर्ताओं की अलग–अलग प्रांतों में हत्याएं कर दी गई। इसके बावजूद भी पूरे जोश एवं उत्साह के साथ इस कानून का प्रयोग सार्वजनिक हित से जुड़े हुए, उन तमाम मुद्दो पर कर रहें हैं, जिसके कारण देश की शासन–व्यवस्थाओं में सदियों से अंधकार पसरा था। इस कानून के प्रयोग ने नागरिकों को संसदीय शक्तियाँ प्रदान कर दीं है। इस कानून का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने मे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण रहा है।

सुझाव

सूचना के अधिकार को ओर अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैः–

1. सूचना के अधिकार का प्रयोग सकारात्मक भाव से तथा जनहित को लेकर ही किया जाना चाहिए। ईमानदार अफसरों को डराने, परेशान करने के लिए इसका दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
2. इस अधिकार का उपयोग करने के लिए ग्राम–पंचायत से लेकर संसद तक गैर–सरकारी संगठन एवं मंच तैयार किये जाने चाहिए, ताकि भ्रष्ट सरकार आदि के विरूद्ध प्रभावी ढंग से संघर्ष किया जा सके।
3. जनता में सूचना के अधिकार के बारें में ओर अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जिससे जनता प्रशासन पर नियंत्रण रख सके।
4. राजनीतिक दलों को भी सूचना के अधिकार के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए, जिससे राजनीति में भ्रष्टाचार कम हों।
5. सरकार को सूचना के अधिकार अधिनियम को ओर अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरन्तर प्रयास करने चाहिए तथा ऐसे प्रयास करने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

उपर्युक्त वर्णित सुझावों को लागू करने से सूचना का अधिकार ओर प्रभावी एवं सशक्त होगा। जिससे प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी तथा भ्रष्टाचार घटेगा। सूचना के अधिकार के प्रभावी होने से लोकतंत्र ओर अधिक परिपक्व होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *गांधी, शैलेश, का चारे, पहलाद, आर.टी.आई. एक्ट, वकील्स, फेफर एण्ड सिमोंस प्रा. लि., मुम्बई, 2016, पृष्ठ 93.*
2. *केजरीवाल, अरविन्द, राजगडिया, विष्णु, सूचना का अधिकारः व्यवहारिक मार्गदर्शिका, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007 , पृष्ठ 36.*
3. *केजरीवाल, अरविन्द,स्वराज, हार्पर कालिंस पब्लिशर्स, नोएड़ा, 2012, पृष्ठ 17.*
4. *कुमार, नीरज, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, भारत लॉ हाउस, दिल्ली, 2015, पृष्ठ 29.*
5. *कुमार, नीरज, सूचना का अधिकर : एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका, भारत बुक सेंटर,दिल्ली, 2015, पृष्ठ 145.*
6. *मीणा, जनक सिंह, सूचना का अधिकार, राजा पॉकेट बुक्स, 2011, पृष्ठ 190.*
7. *मुथुस्वामी, संजीव बृंदा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, स्वामी पब्लिशर्स प्रा. लि., चैन्नई, 2017, पृष्ठ 129.*
8. *नेडुमारन, एस.पी., ए वेपन फॉर द कॉमन इण्डियन, तिरूवल्लूवर पब्लिकेशन्स, दारासुरम,तमिलनाडू, 2011, पृष्ठ 143.*
9. *सागर, अरूण 'सूचना का अधिकार,' नई सदी बुक हाउस, 2015, पृष्.125.*
10. *श्रेयस्कर, पंकज के.पी., 'आर.टी.आई. इन इण्डिया', मैकग्रा हिल्स एजुकेशन, न्यूयॉर्क, 2014 पृष्ठ 122.*
11. *तोमर, आदित्य, 'राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2005, कमल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2017, पृष्ठ 218.*